



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, जंसी रोड, ग्वालियर -474002
दूरभाष : 0751-2323968
फैक्स : 0751-2432194



क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / छत्तीसगढ़-02 / 2024-25

दिनांक:-


प्रति,

✓ सभी जिला कोषालय अधिकारी
मध्य प्रदेश

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2024 से महंगाई राहत @ 50% करने के संबंध में ।

- संदर्भ:- 1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए. / छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्र. पत्र/391 दिनांक 30.05.2024
2. विधि एवं विधार्थी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक F.No. 2746/949/21-B/C.G./2024, दिनांक 15.03.2024.

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2024 से महंगाई राहत @ 50% करने के आदेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर भी उपलब्ध है।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / छत्तीसगढ़-02 / 2024-25 1148

दिनांक:- 25-6-24

प्रतिलिपि:-

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए. / छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्र. पत्र/391 दिनांक 30.05.2024 के संबंध में सूचनार्थ ।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन



SP-336 820 495

क्रमांक: पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./ 391

84607

512398

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

प्रति,

दिनांक: 30-05-2024

Date:

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एजीविशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुंबई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडोग, गंगटोक	737102

PA

V.P.

Sh. Anand

13/6/24

DA

DA-53
13.6.24

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) छत्तीसगढ़
रायपुर

10 JUN 2024

महालेखाकार
ग्वालियर

जीरो पॉइन्ट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर - 492005, दूरभाष : +91-771-2285954, पी.बी.एक्स : 2281451, फैक्स : +91-771-2282607
ZERO POINT, BALODA BAZAR ROAD, RAIPUR-492005 Tel.: +91-2285954, P.B.X.: 2281451, Fax: +91-771-2282607
ई-मेल / E-mail : agChattisgarh@cag.gov.in, agaechhattisgarh@cag.gov.in

24.	महालेखाकर (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018
25.	वरिष्ठ उप महालेखाकर (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ऑ.-कुंजाभवन, अगरतल्ला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकर (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहारादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून	248171
27.	महालेखाकर (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकर (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकर (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कन्ट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2024 से महंगाई राहत @50% करने के संबंध में ।


संदर्भ: विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक F.No.2746/949/21-B/C.G./2024, दिनांक 15.03.2024.

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न: संदर्भित आदेश की प्रति।

भवदीय



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्र.पी.ए./छत्तीसगढ़राहतआदेश/

दिनांक:

प्रतिलिपि:

विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक F.No.2747/949/21-B/C.G./2024, दिनांक 15.03.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

E-1895811

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT, MANTRALAYA
MAHANADI BHAWAN,
NAVA RAIPUR, ATAL NAGAR, (C.G.) 492002

// ORDER //

Raipur/03/2024

F.No. ²⁷⁴⁶...../949/21-B/C.G./2024, the State Government, consequent to the enhancement of the rate of Dearness Allowance payable to the Central Government officers/employees vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M. No. 1/1/2024-E-II (B), dated 12.03.2024, hereby, enhances the Dearness Allowance payable to the Judicial Officers of the State, whose pay scale have been revised on the basis of 2nd National Judicial Pay Commission recommendation including on the basis of 7th Pay Commission (Interim) and/or to Pensioner Judicial Officers and to Family Pensioners of Deceased Judicial Officers of the State, who are receiving pension/ family pension as per revised pay scale, from the existing rate of 46% to 50% w.e.f. 01.01.2024.

By Order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

x (Rajnish Shrivastava)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Law & Legislative Affairs Department

Endt. No. ²⁷⁴⁷...../949 /21-B/C.G./2024

Raipur,/03/2024

Copy to:

1. Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur,
2. Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar,
3. Secretary, General Administration Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar,
4. Accountant General, Chhattisgarh, Raipur,
5. Legal Advisor to Governor, Governor's Secretariat, Raipur,
6. Director, Treasury, Accounts and Pension, Raipur,

Continued..2..

